

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग-5
संख्या: १५०१ / ७९-५-२०१३
लखनऊ: दिनांक: १० जुलाई, २०१३

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ (Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009) के प्राविधानों के कियान्वयन, अनुश्रुति एवं नीतिगत निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को सलाह देने हेतु मा० बेसिक शिक्षा मंत्री, उ०प्र० सरकार जैसे अध्यक्षता में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

क्र.सं.	नाम/पदनाम	
1.	मा० मंत्री बेसिक शिक्षा, उ०प्र० सरकार।	अध्यक्ष
2.	डा० प्रेमलता सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।	
3.	श्री खोकार राणा, सहायक उप शिक्षा निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, लखनऊ।	
4.	डा० सुरेश चौधरी, प्रधानाचार्य, श्री महन्थ राधा कृष्ण इण्टर कालेज सकरपुरा, खेजुरी, बलिया।	
5.	सुश्री सेहबा हुसैन (बेटी फाउण्डेशन) तथा पूर्व एजूकेशन रिप्रेजन्टेटिव यूनिसेफ उ०प्र०।	
6.	डा० अभिताव मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, स्पेशल एजूकेशन, महात्मा ज्योतिबाफुले रङ्गलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।	
7.	प्रधानाचार्या, राजकीय महिला शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।	
8.	डा० हरिकेश सिंह, प्रोफेसर एजूकेशन विभाग, बी०एच०य००, वाराणसी।	
9.	श्रीमती प्रिया भारती, लोकमित्र, रायबरेली।	
10.	सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।	सदस्य सचिव
11.	शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।	सदस्य
12.	शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ०प्र०।	सदस्य
13.	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०।	सदस्य
14.	निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०	सदस्य
15.	राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद।	सदस्य

उक्त सलाहकार परिषद की बैठक प्रत्येक त्रैमास में यथा संभव राज्य परियोजना कार्यालय, निशातगंज, लखनऊ में आयोजित की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर बैठक अल्प अवधि की नोटिस पर भी आयोजित की जा सकती है। वाह्य सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता/कन्वेन्स चार्ज का भुगतान/बैठक का संयोजन सर्व शिक्षा अभियान ह्वारा किया जायेगा।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त पत्र की प्रति अपने स्तर से सभी संबंधित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री बेसिक शिक्षा, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
3. डा० प्रेमलता सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
4. श्री ओंकार साणा, सहायक उप शिक्षा निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, लखनऊ।
5. डा० सुरेश चौधरी, प्रधानाचार्य, श्री महाच्छ राधा कृष्ण इण्टर कालेज सकरपुरा, खेजुरी, बिहार।
6. सुश्री सेहबा हुसैन (बेटी फाउण्डेशन) ज्याथा पूर्व एजूकेशन रिप्रेजन्टेटिव यूनिसेफ उ०प्र०।
7. डा० अमिताव मिश्रा, एसोसिएट प्रोकेसर, स्पेशल एजूकेशन, महात्मा ज्योतिबाफुले रूड़ेलूडल विश्वविद्यालय, बरेली।
8. प्रधानाचार्या, राजकीय महिला शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
9. डा० हरिकेश सिंह, प्रोफेसर एजूकेशन विभाग, बी०एच०य०, दार्शणसी।
10. श्रीमती प्रिया भारती, लोकमित्र, रायबरेली।
11. सचिव / प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
12. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।
13. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ०प्र०।
14. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०।
15. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०।

आशा से,

१२/१३
(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।